फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दयालाल **विपक्षी : श्री अब्बास**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 03/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 01.03.2021 पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वादी दयालाल के नाम दर्ज होकर दयालाल खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1,2 की माता व प्रतिवादी सं. 3 की पत्नी फरीदा बाई के नाम थी, जिन्होने विक्रेताओं को जमीन बेची एवं विक्रेताओं से वादी ने उक्त जमीन खरीद कब्जा प्राप्त किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी को कब्जा खाली करने हेतु धमकियां दे रहे है व कब्जे में दखलन्दाजी करते हैं इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी सं. 2, 3 ने मुकदमा हेतु पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में दी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मय अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रकरण में वादी व प्रतिवादी दोनों ही वाद को डिक्री किया जाने पर सहमत होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बजाजनगर पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 4001/1951 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4002/1951 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2021.03.04 10:36:19 IST Reason: SelfAttested **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री दयालाल पिता कालुराम चौधरी कर्ता एच.यू.एफ. निवासी 364 शिव कृपा, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 9 मेन रोड, सवीना उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री अब्बास मुस्तफा पिता ईशाक अली मुस्तफा बोहराा निवासी 3 ज्योति स्कूल के पास वाली गली, न्यू अंहिसापुरी, फतहपुरा उदयपुर।
2. श्री कुतुबूद्दीन पिता ईशाक अली बोहरा निवासी 3 ज्योति स्कूल के पास वाली गली, न्यू अंहिसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर हाल ब्लॉक 5 सालमिया कुवैत।
3. श्री ईशाक अली मुस्तफा पिता हुसैन अली बोहरा निवासी बस्तीराम जी की बाडी बोहरवाडी उदयपुर हाल मुकाम ब्लॉक 5 सालमिया कुवैत।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 03/21 (वाद) GCMS No. –2021/4

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बजाजनगर पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 4001/1951 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4002/1951 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.03.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.04 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली